12/6/18 वकला. ए० पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। वकील
वादी के तर्क रहे कि उसके हिस्से की आराजी को प्रतिवादी
सरला। दीगर व्यक्ति को बेचान पर आमादा है। प्रतिवादी
के वकील के तर्क रहे कि कोई बेचान हस्तांतरण नहीं किया
जा रहा है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया
कि प्रथम दृष्टया सहूलियत का सन्तुलन प्रार्थीगण के
पक्ष में प्रतीत होता है। वाद का मेरिट पर तय किया
जाना है। वर्तमान स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
किया जाना न्यायोचित है। अतः विवादित आराजी को
बेचान हस्तान्तरण आदि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के तारीख फैसला वाद तक पाबन्द किया
जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
बाद दफ्तर दाखिल हो।

(सुरेश चांवला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.13 15:29:55 IST
Reason: SelfAttested